

परिशिष्ट

परिशिष्ट - 1.1

रा.रा.क्षे. दिल्ली की रुपरेखा

क. सामान्य आँकड़े			
क्र.सं.	विवरण		आँकड़े
1.	क्षेत्रफल		1483 वर्ग किमी
2.	जनसंख्या		
	क.	2001 की जनगणना के अनुसार	1.39 करोड़
	ख.	2011 की जनगणना के अनुसार	1.68 करोड़
3.	क.	जनसंख्या घनत्व (2001 के अनुसार) (सम्पूर्ण भारत का घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.)	9340 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.
	ख.	जनसंख्या घनत्व (2011 के अनुसार) (संपूर्ण भारत का घनत्व = 382* व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.)	11320* व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.
4	गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या (बी पी एल) (अखिल भारतीय औसत = 21.9**प्रतिशत)		39.30
5.	क.	साक्षरता (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 64.8 प्रतिशत)	81.67 प्रतिशत
	ख.	साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 73.0***प्रतिशत)	86.21 प्रतिशत
6.	बाल मृत्यु दर 2017 (प्रति 1000 जीवित जन्म पर). (अखिल भारतीय औसत**** = 33 प्रति 1000 जीवित जन्म लेने वालों पर)		16
7.	जन्म पर जीवन प्रत्याशा***** (2012-16) (अखिल भारतीय औसत = 68.7 वर्ष)		ला.न.
8.	मानव विकास इंडेक्स*****		
	(क)	2017 (अखिल भारतीय = 0.643)	ला.न.
	(ख)	2018 (अखिल भारतीय = 0.647)	ला.न.
9.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) 2018-19 वर्तमान मूल्य पर		₹ 7,79,652 करोड़
10.	प्रति व्यक्तिस.रा.घ.उ. /स.रा.घ.उ.*****मि.वा.वृ.द्ध. (2011-12 से 2018-19)	रा.रा.क्षे. दिल्ली	10.30 प्रतिशत
		अखिल भारतीय	10.35 प्रतिशत
11.	स.रा.घ.उ. मि.वा.वृ.द्ध ***** (2011-12 से 2018-19)	रा.रा.क्षे. दिल्ली	12.41 प्रतिशत
		अखिल भारतीय	11.75 प्रतिशत
12.	पिछले दस वर्ष की जनसंख्या वृद्धि ***** (2009 से 2019 तक)	12.84	32.84
ख. वित्तीय आंकड़े			
क्र.सं.	विवरण	मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत में)	
1.		2009-10 से 2017-18	2017-18 से 2018-19
		रा.रा.क्षे. दिल्ली	रा.रा.क्षे. दिल्ली
क.	राजस्व प्राप्त का	7.33	11.50
ख.	स्वयं के कर राजस्व का	11.46	2.54
ग.	गैर कर राजस्व का	-15.44	-15.93
घ.	कुल व्यय का	5.46	8.35
ङ.	पूजीगत व्यय का	-4.08	0.71
च.	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	10.61	9.99
छ.	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	10.13	18.25

*संसद इंफो इंडिया 2011 अंतिम जनसंख्या योग

**आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19, खंड-II, पृष्ठ क 168-169

***आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19, खंड-II, पृष्ठ क 164

****आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19, खंड-II, पृष्ठ क 160

*****आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19, खंड-II, पृष्ठ क 160

*****मानव विकास प्रतिवेदन 2019

*****एमओएसपीआई वेबसाइट के अनुसार

*****एमओएसपीआई वेबसाइट के अनुसार

*****भारत की जनगणना 2001 (जनगणना प्रक्षेपण 2001-2026, तालिका 14, पृष्ठ 104 से 115 तक)

परिशिष्ट 1.2

(प्रस्तावना को देखें)

भाग क: सरकारी लेखों की संरचना एवं बनावट

सरकारी लेखों की संरचना: राज्य सरकार के लेखे दो भागों में रखे जाते हैं- (i) समेकित निधि तथा (ii) आकस्मिक निधि। रा.रा.क्षे. दिल्ली में लोक लेखे नहीं है। लेन-देनों से संबंधित ऋण (लघु बचत योजनाओं के अलावा), जमा, अग्रिम, प्रेषणों तथा उचंतों को संघ सरकार के लोक लेखा में दिया जाता है (पेज 47 पर चार्ट देखें)।


भाग I: समेकित निधि: राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, कोषागार बिलों के सभी ऋण, आंतरिक तथा बाह्य ऋण और ऋणों के पुनः भुगतान में सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन एक समेकित निधि बनाते हैं। राज्य की समेकित निधि की स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत की गई।

भाग II: आकस्मिक निधि: राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अंतर्गत की गई है जो राज्यपाल के अधिकाराधीन अग्रदाय के रूप में रखी जाती है जिससे वे अग्रिम देने के योग्य हो सके ताकि विधान मंडल द्वारा लम्बित प्राधिकार प्राप्त होने तक तत्कालीन अप्रत्याशित व्यय को पूरा किया जा सके। ऐसे व्यय के लिये तथा समेकित निधि से समतुल्य राशि के आहरण हेतु विधान मंडल का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है जिसके बाद आकस्मिक निधि से प्राप्त अग्रिम से निधि को पूरा किया जाता है।

भाग ख: वित्तीय लेखों का खाका

विवरण	खाका
विवरण सं. 1	राज्य सरकार के लेन देनों का सारांश- रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की समेकित निधि में प्राप्तियां तथा व्यय, राजस्व तथा पूँजी, लोक ऋण प्राप्तियां एवं संवितरण इत्यादि
विवरण सं. 2	वर्ष की समाप्ति पर प्रगामी व्यय को दर्शाने वाले पूँजीगत परिव्यय की संक्षिप्त विवरणी
विवरण सं. 3	राज्य की ऋण स्थिति का सारांश जिसमें भारत सरकार से आन्तरिक उधार, अन्य देयताएं एवं ऋणों की सेवाएं सम्मिलित हैं।
विवरण सं. 4	वर्ष के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम, किए गये पुनर्भुगतान और बकाया वसूलियों इत्यादि का सारांश।
विवरण सं. 5	रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की ओर से भारत सरकार द्वारा दी गयी गारंटियों का सारांश
विवरण सं. 6	वर्ष की समाप्ति पर शेषों का सारांश
विवरण सं. 7	वर्ष के लिये विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत कुल राजस्व प्राप्तियां एवं व्यय की प्रतिशतता के रूप में राजस्व और व्यय
विवरण सं. 8	वर्ष के दौरान किये गये प्रभारित एवं दत्तमत व्यय के मध्य वितरण
विवरण सं. 9	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व का विस्तृत लेखा
विवरण सं. 10	वर्ष के लिये लघु शीर्ष तथा पूँजीगत व्यय मुख्य शीर्ष वार द्वारा राजस्व व्यय के लेखे
विवरण सं. 11	वर्ष के दौरान तथा समाप्ति तक किये गये विस्तृत पूँजीगत व्यय
विवरण सं. 12	वर्ष की समाप्ति तक सरकारी कंपनियों तथा सहकारी संस्थानों में राज्य सरकार के निवेश का विवरण
विवरण सं. 13	वर्ष की समाप्ति तक (राजस्व लेखों से बाहर) अन्य व्यय तथा पूँजीगत व्यय और प्रमुख स्रोत जिसमें निधियाँ उस व्यय के लिये प्रदान की गयी थी।
विवरण सं. 14	ऋण, कर्जों तथा अग्रिमों इत्यादि से संबंधित लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्राप्तियाँ, संवितरणों और शेषों का विस्तृत लेखा।
विवरण सं. 15	रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के ऋण का विस्तृत लेखा
विवरण सं. 16	रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम, वर्ष के दौरान अदा की गयी ऋणों की राशि तथा वर्ष की समाप्ति पर शेषों का विस्तृत विवरणी

चार्ट: रा.रा.क्षे. दिल्ली के लेखों की संरचना



परिशिष्ट 1.3
(प्रस्तावना को देखें)

राजकोषीय स्थिति के निर्धारण के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली

जी.एस.डी.पी. राज्य की आर्थिक मुख्य राजकोषीय संचय जैसे कर तथा गैर-कर राजस्व, राजस्व तथा पूँजीगत व्यय, आन्तरिक ऋण तथा राजस्व तथा वर्तमान बाजारी मूल्यों पर जी.एस.डी.पी. की प्रतिशतता के रूप में राजकोषीय घाटे को प्रस्तुत किये जाने के निष्पादन का अच्छा संकेतक मानी जाती है। जी.एस.डी.पी. द्वारा दर्शाए गए आधार के संदर्भ में प्रासंगिक अस्थायी वित्तीय के लिए उत्पलावकता गुणांक भी आकलन करने के लिए लगाया गया आधार में परिवर्तन के साथ संसाधनों की लामबंदी व्यय का तरीका इत्यादि में तेजी आ रही है या यह वित्तीय समुच्चय जी.एस.डी.पी. के अलावा अन्य कारकों से भी प्रभावित हुए हैं।

पिछले पांच वर्षों के लिए जी.एस.डी.पी. में प्रवृत्तियों को नीचे दर्शाया गया है:-

वर्तमान दरों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) में प्रवृत्तियां

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	4,94,803	5,50,804	6,15,605	6,90,098	7,79,652
जी.एस.डी.पी. की वृद्धि दर	11.45	11.32	11.76	12.10	12.98

स्रोत: आर्थिक तथा सांख्यिकी विश्लेषण निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स. तथा केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय

प्रवृत्तियों तथा राजकोषीय संचय के प्रतिमानों के निर्धारण में प्रयोग में लाए जा रहे कुछ चयनित शब्दावलियों की परिभाषाओं को नीचे दिया गया है:

शब्दावली	परिकलन का आधार
पैरामीटर की उत्पलावकता	पैरामीटर/जी.एस.डी.पी. विकास की वृद्धि दर
पैरामीटर की उत्पलावकता (एक्स) अन्य पैरामीटर के संबंध में (वाई)	पैरामीटर की वृद्धि दर (एक्स)/पैरामीटर की वृद्धि दर (वाई)
वृद्धि दर (आर.ओ.जी.)	$[(\text{वर्तमान वर्ष की राशि/पिछले वर्ष की राशि})-1]* 100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवार्य + आर्थिक सेवार्य
संचयित व्यय	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + ऋण तथा अग्रिम
राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज	$\text{ब्याज भुगतान}/[(\text{पिछले वर्ष की राजकोषीय देयताओं की राशि} + \text{वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताएँ})/2]*100$
विस्तारित ब्याज	जी.एस.डी.पी. वृद्धि - औसत ब्याज दर
विस्तारित प्रमात्रा	ऋण स्टॉक *विस्तारित ब्याज
बकाया ऋणों के प्रतिशत के रूप में प्राप्त किया गया ब्याज	$\text{प्राप्त किया गया ब्याज} / [(\text{अथ शेष} + \text{ऋणों तथा अग्रिमों का अन्त शेष})/2]*100$
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय+ पूँजीगत व्यय+ निवल ऋण तथा अग्रिम - राजस्व प्राप्तियां - विविध पूँजीगत प्राप्तियां
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज का भुगतान

परिशिष्ट 1.4
रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वित्त पर समय श्रेणी आंकड़े
(पैराग्राफ 1.1.1 को देखें)

(₹ करोड़ में)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
पार्ट ए: प्राप्तियां					
1. राजस्व प्राप्तियां	29,585	34,999	34,346	38,667	43,113
(i) कर राजस्व	26,604	30,226	31,140	35,717	36,625
राज्य उत्पाद तथा सेवा कर (एस.जी.एस.टी.)	-	-	-	13,621	19,187
कृषि आय पर कर	-	-	-	-	-
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	18,289	20,246	21,144	11,149	5,886
राज्य उत्पाद शुल्क	3,422	4,238	4,251	4,453	5,028
वाहनों पर कर	1,559	1,607	1,809	2,116	2,055
स्टाम्प व पंजीकरण शुल्क	2,780	3,433	3,144	4,117	4,459
भूमि राजस्व	62	1	2	2	0
वस्तुओं तथा यात्रियों पर कर	-	-	-	-	-
अन्य कर	492	701	790	259	10
(ii) गैर कर राजस्व	633	515	381	766	644
(iii) संघीय कर व शुल्क में राज्य अंश	-	-	-	-	-
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	2,348	4,258	2,825	2,184	5,844
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	-	-	-	-	-
3. ऋणों व अग्रिमों की वसूलियां	228	83	212	691	1,644
4. कुल राजस्व व गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+3)	29,812	35,082	34,558	39,358	44,757
5. सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां	1,764	2,241	1,696	1,906	2,880
आन्तरिक ऋण (पूर्वोपाय अग्रिमों और ओवरड्राफ्टों के अतिरिक्त)	-	-	-	-	-
पूर्वोपाय अग्रिमों और ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	1,764	2,241	1,696	1,906	2,880
6. समेकित निधि से कुल प्राप्तियां (4+5)	31,577	37,323	36,254	41,264	47,637
7. आकस्मिक निधि प्राप्तियां	-	10	-	2	95
8. लोक लेखा प्राप्तियां	-	-	-	-	-
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	31,577	37,333	36,254	41,266	47,732
पार्ट बी. व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	23,509	26,343	29,302	33,754	36,852
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतानों सहित)	5,983	6,427	6,590	7,196	7,605
सामाजिक सेवाएँ	13,306	14,818	16,579	19,602	21,663
आर्थिक सेवाएँ	3,319	4,139	5,111	5,862	5,219
सहायता अनुदान और अंशदान	901	959	1,021	1,094	2,365
11. पूंजीगत व्यय	4,404	4,723	3,754	3,243	3,266
सामान्य सेवाएँ	371	378	350	228	180
सामाजिक सेवाएँ	1,330	1,699	2,130	1,575	1,755
आर्थिक सेवाएँ	2,703	2,647	1,274	1,440	1,331
12. ऋणों तथा अग्रिमों का संवितरण	1,680	2,684	2,553	2,248	2,402
13. कुल व्यय (10+11+12)	29,593	33,750	35,609	39,245	42,520
14. सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान	1,347	1,435	1,655	1,682	3,636
आन्तरिक ऋण (पूर्वोपाय अग्रिमों और ओवरड्राफ्टों के अतिरिक्त)	-	-	-	-	-
पूर्वोपाय अग्रिम व ओवरड्राफ्टों के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	1,347	1,435	1,655	1,682	3,636
15. आकस्मिक निधि से विनियोजन	-	10	-	-	90
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	30,940	35,195	37,264	40,927	46,246
17. आकस्मिक निधि से संवितरण	-	-	-	2	5
18. सार्वजनिक खाते से संवितरण	-	-	-	-	-
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	30,940	35,195	37,264	40,929	46,251
पार्ट सी. घाटा					
20. राजस्व घाटा(-)/ राजस्व अधिशेष (+)(1-10)	(+)6,076	(+)8,656	(+)5,044	(+)4,913	(+)6,261
21. राजकोषीय घाटा(-)/राजकोषीय अधिशेष (+) (4-13)	(+)219	(+)1,332	(-)1,051	(+)113	(+)2,237
22. प्राथमिक घाटा (-)/प्राथमिक अधिशेष (+) (21+23)	(+)2,993	(+)4,142	(+)1,832	(+)2,984	(+)5,104
पार्ट डी. अन्य आंकड़े					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	2,774	2,810	2,883	2,871	2,867
24. स्थानीय निकायों इत्यादि को वित्तीय सहायता	-	-	-	-	-
25. पूर्वापाय अग्रिम/उपयोग किए गए ओवरड्राफ्ट (दिन)	-	-	-	-	-
उपयोग किए गए अग्रिम पूर्वापाय (दिन)	-	-	-	-	-
उपयोग किए गए ओवरड्राफ्ट (दिन)	-	-	-	-	-
26. पूर्वापाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	-	-	-	-	-
27. सकल राज्य धरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)@	4,94,803	5,50,804	6,15,605	6,90,098	7,79,652
28. बकाया राजकोषीय देयताएँ	32,498	33,304	33,345	33,569	32,812
29. बकाया गारंटियाँ (वर्ष के अंत में) (ब्याज सहित)	-	-	-	-	-
30. अधिकतम गारंटी की गई राशि (वर्ष के अंत में)	-	-	-	-	-
पार्ट ई. राजकोषीय स्वास्थ्य संकेतक					
I संसाधन गतिशीलता					
निजी कर राजस्व/स.रा.घ.उ.	5.38	5.49	5.06	5.18	4.70
निजी गैर-कर राजस्व/स.रा.घ.उ.	0.13	0.09	0.06	0.11	0.08
II व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/स.रा.घ.उ.	5.98	6.13	5.78	5.69	5.45
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	100.03	96.43	103.68	101.49	98.62
राजस्व व्यय/कुल व्यय	79.44	78.05	82.29	86.01	86.67
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	53.85	51.92	54.68	56.49	59.05
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	21.48	23.33	21.25	20.89	17.07
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	14.88	13.99	10.54	8.26	7.68
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	13.63	12.88	9.56	7.68	7.26
III राजकोषीय असंतुलनों का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (अधिशेष)/स.रा.घ.उ.	(+)1.23	(+)1.57	(+)0.82	(+)0.71	(+)0.80
राजकोषीय घाटा (अधिशेष) / स.रा.घ.उ.	(+)0.04	(+)0.24	(-)0.17	(+)0.02	(+)0.29
प्राथमिक घाटा (अधिशेष)/ स.रा.घ.उ.	(+)0.60	(+)0.75	(+)0.30	(+)0.43	(+)0.65
IV राजकोषीय देयताओं का प्रबंधन					
राजकोषीय देयताएँ/ स.रा.घ.उ.	6.57	6.05	5.42	4.86	4.21
राजकोषीय देयताएँ/आर आर	109.85	95.16	97.09	86.82	76.11
प्रमात्रा प्रसार की तुलना में प्राथमिक घाटा	321.91	447.85	176.46	252.56	358.50
ऋण मुक्ति (मूल+ब्याज)/कुल ऋण प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-
V अन्य राजकोषीय स्वास्थ्य संकेतक					
निवेश पर प्रतिफल	0.07	0.07	0.06	0.08	0.06

@ सरकार द्वारा सूचित स.रा.घ.उ. आंकड़े अपनाए गए हैं।
टिप्पणी-आंकड़ों को पूर्णांक किया गया है।

परिशिष्ट 1.5
विभिन्न निकायों से ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण
(पैराग्राफ 1.7.2 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र/शीर्ष	उप-शीर्ष	राशि	मुख्य एजेंसियां/स्थानीय निकायों जिन्हें ऋण दिया गया था
जल आपूर्ति और स्वच्छता	जल आपूर्ति - शहरी तथा ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रमों, स्थानीय निकायों नगर पालिकाओं तथा एससी हेतु विशेष घटक योजना के लिए ऋण	11,615.49	दिल्ली जल बोर्ड तथा दि.न.नि.
	सीवरेज और स्वच्छता - स्थानीय निकाय नगर पालिकाएँ हेतु ऋण	8,086.46	दिल्ली जल बोर्ड तथा दि.न.नि.
	कुल	19,701.95	
शहरी विकास	झुग्गी बस्ती क्षेत्र का विकास - स्थानीय निकाय नगर पालिकाएँ हेतु ऋण	62.48	दि.न.नि.
	अन्य शहरी विकास योजनाएँ - स्थानीय निकायों नगर पालिकाओं तथा एससी हेतु विशेष घटक योजना के लिए ऋण	1,696.75	दिल्ली शहरी आश्रय निवेश बोर्ड, उत्तरी दि.न.नि., पूर्वी दि.न.नि., दक्षिणी दि.न.नि. तथा दि.न.नि.
	कुल	1,759.23	
सड़क परिवहन	सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों के लिए ऋण तथा अन्य ऋण	15,595.52	दि.प.नि., डी.एम.आर.सी., एम.आर.टी.एस. तथा पूर्वी दि.न.नि.
ऊर्जा परियोजनाएं	सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों, जल विद्युत उत्पादन, ताप विद्युत उत्पादन, डीजल/गैस उत्पादन, ग्रामीण विद्युतीकरण, प्रसारण तथा संवितरण योजनाएँ और अन्य ऋणों के लिए ऋण	10,376.10	आईजीपीसीएल, पीपीसीएल, डीटीएल तथा डीपीसीएल
विविध ऋण	विविध ऋण	16,273.53	दिल्ली शहरी आश्रय निवेश बोर्ड, उत्तरी दि.न.नि., पूर्वी दि.न.नि., दक्षिणी दि.न.नि., दिल्ली जल बोर्ड तथा दि.न.नि.

परिशिष्ट 1.6

भाग अ: वर्ष 2018-19 के लिए प्राप्तियाँ तथा संवितरणों का सार
(पैराग्राफ 1.8.1 को देखें)

(₹ करोड़ में)

खण्ड-क: राजस्व			संवितरण		
प्राप्तियाँ			संवितरण		
2017-18		2018-19	2017-18		2018-19
38,667	I. राजस्व प्राप्ति	43,113	33,754	I. राजस्व व्यय	36,852
35,717	कर राजस्व	36,625	7,196	सामान्य सेवाएं	7,605
			19,602	सामाजिक सेवाएं	21,663
766	-गैर-कर राजस्व	644	9,039	-शिक्षा, खेल-कूद, कला एवं संस्कृति	9,942
			4,388	-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	5,189
			3,241	-जल आपूर्ति, स्वच्छता, गृह एवं शहरी विकास	3,127
			122	-सूचना एवं प्रसारण	51
			237	-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	211
			133	-श्रम एवं श्रमिक कल्याण	143
			2,431	-समाज कल्याण एवं पोषण	2,989
			11	-अन्य	11
995	-केन्द्र प्रायोजित परियोजनाओं	807	5,862	आर्थिक सेवाएं-	5,219
1,189	-विधायिका सहित राज्य/के.शा.प्र. को अन्य स्थानान्तरण/अनुदान	5,037	116	-कृषि एवं अन्य संबद्ध गतिविधियाँ	123
			14	-ग्रामीण विकास	12
			168	-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	194
			1,694	-ऊर्जा	1,738
			15	-उद्योग एवं खनिज	18
			3,699	-परिवहन	2,952
			10	-विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	12
			146	-सामान्य आर्थिक सेवाएं	170
			1,094	सहायता अनुदान एवं योगदान	2,365
			33,754	कुल	36,852
	II. राजस्व घाटा को आगे खण्ड ब तक ले जाना		4,913	II. राजस्व अधिशेष को आगे खंड ब तक ले जाना	6,261
38,667	कुल	43,113	38,667	कुल	43,113

खण्ड-ख: पूँजीगत एवं अन्य					
प्राप्तियाँ			संवितरण		
2017-18		2018-19	2017-18		2018-19
2,645	III. स्थायी अग्रिम एवं शेष नकद निवेश सहित प्रारंभिक नकद शेष	2,982		III. भारतीय रिजर्व बैंक से आरंभिक ओवरड्राफ्ट	
	IV. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ			IV. पूँजीगत रूपरेखा	
			228	सामान्य सेवाएं-	180

			1,575	सामाजिक सेवाएं-	1,755
			848	-शिक्षा, खेल-कूद, कला एवं संस्कृति	602
			346	-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	307
			241	-जल आपूर्ति, स्वच्छता, गृह एवं शहरी विकास	687
			-	-सूचना एवं प्रसारण	-
			48	-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	65
			25	-समाज कल्याण एवं पोषण	20
			67	-अन्य	74
			1,440	आर्थिक सेवाएं-	1,331
			20	-कृषि एवं अन्य संबद्ध गतिविधियाँ	31
			102	-ग्रामीण विकास	142
			-	-विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	
			65	-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	69
			3	-ऊर्जा	13
			0	-उद्योग एवं खनिज	0
			1,250	-परिवहन	1,076
			0	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	0
			-	-सामान्य आर्थिक सेवाएं	0
			3,243	कुल	3,266
691	V. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली-	1,644	2,248	V. संवितरित ऋण एवं अग्रिम	2,402
	-पॉवर परियोजनाओं से		466	- पॉवर परियोजनाओं के लिए	400
	-सरकारी सेवकों से		0	-सरकारी सेवकों को	1
	-अन्यों से		1,782	-अन्यों को	2,001
	VI. राजस्व अधिशेष कम किया गया			VI. राजस्व घाटा कम किया गया	
1,906	VII. लोक ऋण प्राप्तियां-	2,880	1,682	VII. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	3,636
	-बाह्य ऋण	-	-	-बाह्य ऋण	-
	-पूर्वोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अतिरिक्त आंतरिक ऋण	-	-	-पूर्वोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अतिरिक्त आंतरिक ऋण	-
	-पूर्वोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेन-देन	-	-	-पूर्वोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेन-देन	-

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1,906	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	2,880	1,682	-केन्द्र सरकार को ऋण एवं अग्रिम की पुनर्अदायगी	3,636
-	VIII. आकस्मिक निधि से विनियोजन	-	-	VIII. आकस्मिक निधि से विनियोजन	90-
2	IX. आकस्मिक निधि में स्थानांतरित राशि	95	2	IX. आकस्मिक निधि से व्यय	5
-	X. लोक लेखा प्राप्तियां	-	-	X. लोक खाता संवितरण	-
-	-लघु बचतें एवं भविष्य निधियाँ	-	-	-अल्प बचतें एवं भविष्य निधियाँ	-
-	-आरक्षित निधियाँ	-	-	-आरक्षित निधियाँ	-
-	-उचंत एवं विविध	-	-	-उचंत एवं विविध	-
-	प्रेषण	-	-	प्रेषण	-
	जमा एवं अग्रिम		-	जमा एवं अग्रिम	-
	XI. भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम ओवरड्राफ्ट		2,982	XI.अंत में समाप्त शेष-	4,463
			-	- खजाने में नकद एवं स्थानीय प्रेषण	-
			-	- रिजर्व बैंक में जमा	-
			-	- स्थायी अग्रिम को शामिल करते हुए विभागीय नकद शेष	-
				नकद शेष निवेश	
43,911	कुल	50,714	43,911	कुल	50,714

परिशिष्ट 1.6 (जारी)
(पैराग्राफ 1.8.1 को देखें)

(₹ करोड़ में)

भाग ब			
31 मार्च 2019 को रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति			
31-03-2018 को	देयताएँ		31-3-2019 को
33,569	केन्द्र सरकार से ऋण व अग्रिम		32,812
-	1984-85 से पूर्व के ऋण	-	-
-	गैर-योजनागत ऋण		-
3,326	संसाधनों में अंतर को पूर्ति करने के लिये ऋण	-	3,326
30,243	लघु बचत संग्रहणों के अंश	-	29,406
-	विधायिका योजना सहित यूटी/राज्य को अन्य ऋण	-	80
89,829	राजस्व अधिशेष		96,090
1,588	सीजीए से 1994-95 के दौरान अंगीकृत पूंजीगत परिव्यय का शेष		1,588
3,356	1994-95 के दौरान सीजीए से अंगीकृत ऋण व अग्रिमों का शेष		3,356
1,28,342	कुल		1,33,846
	परिसम्पत्तियाँ		
61,547	अचल परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय	(क)	64,813
19,173	कम्पनियों, निगमों इत्यादि के अंशों में निवेश	(ख)	19,261
42,374	अन्य पूंजीगत परिव्यय	(क-ख)	45,552
63,812	ऋण और अग्रिम	क	64,570
11,556	पाँवर परियोजनाओं हेतु ऋण	ख	10,376
36,093	अन्य विकास ऋण	ग=क-(ख+घ)	37,930
16,163	सरकारी कर्मचारियों को ऋण व विविध ऋण	घ	16,264
2,983	अन्तिम शेष को भारत सरकार के सामान्य नकद शेष के साथ विलय कर दिया गया		4,463
1,28,342	कुल		1,33,846

उपरोक्त विवरणों के दिए गए संक्षिप्त लेखों को वित्त लेखों में दी गई अभ्युक्तियों और स्पष्टीकरणों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। चूँकि सरकारी लेखे प्रमुखतः नकद आधार पर होते हैं, सरकारी खाते में कमी/अधिशेष, जैसा कि परिशिष्ट 1.6 में दर्शाया गया है, व्यावसायिक लेखों में उपार्जन आधार के विपरीत नकद आधार में स्थिति को दर्शाते हैं। परिणास्वरुप भुगतान योग्य या प्राप्ति योग्य मदों अथवा स्टॉक आँकड़ों इत्यादि में अवमूल्यन या भिन्नता जैसी मदें खातों में नहीं दी गई हैं। सकल परिव्यय के अंतर्गत 31 मार्च 2018 तथा 31 मार्च 2019 तक के लिए दी गई क्रमशः ₹61,547 करोड़ तथा ₹64,813 करोड़ धनराशि की परिसंपत्तियों में ₹1,588 करोड़ की धनराशि सम्मिलित है जो 1994-95 के दौरान महानियंत्रक लेखा से ग्रहण किए गए थे। इसी प्रकार परिसम्पत्तियों में दर्शाए गए 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019 के लिए क्रमशः ₹63,812 करोड़ तथा ₹64,570 करोड़ की धनराशि के ऋण व अग्रिम में ₹3,356 करोड़ शामिल है। लेकिन इन वर्षों के लिए देयताओं में दर्शाए जाने वाले संगत आँकड़े वित्त लेखों में पृथक रूप से नहीं दर्शाए गए हैं।

परिशिष्ट 2.1

₹50 करोड़ तथा अधिक की बचतों के साथ अनुदानों की सूची
(पैराग्राफ 2.3.1 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का नाम तथा संख्या	मूल अनुदान/विनियोग	पूरक अनुदान/पुनर्विनियोग	कुल अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	बचतें	प्रतिशतता	बचतों के कारण
राजस्व - दत्तमत								
अनुदान सं. 2 - सामान्य प्रशासन विभाग								
1	2220.01.001.99 जन संपर्क निदेशालय	257.37	- 151.44	105.93	50.88	55.05	51.97	रिक्त पदों की भर्ती नहीं की गई, दावों/बिलों की कम प्राप्ति प्रचार किए हुए बिलों को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका क्योंकि मामला उच्च न्यायालय में लंबित था।
2	2051.00.103.98 दिल्ली सरकार के लिए कर्मचारी चयन आयोग	35.14	76.16	111.30	46.71	64.59	58.03	रिक्त पद दावों/बिलों की कम प्राप्ति तथा कम संख्या में परीक्षाओं का संचालन
अनुदान सं. 3 - न्याय का प्रशासन								
3	मुख्य शीर्ष 2014.00.105.99 सिविल तथा सत्र न्यायालय	849.74	53.44	903.18	731.74	171.44	18.98	वेतन बकायों के भुगतानों के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया, विभिन्न रिक्त पदों के लिए परीक्षाओं को संचालित नहीं किया गया।
अनुदान सं. 6 - शिक्षा								
4	2202.01.111.98 सर्व शिक्षा अभियान (सीएसएस)	2,100.00	- 1,820.00	280.00	181.48	98.52	35.19	कम अनुदान का जारी करना तथा भारत सरकार के केन्द्रीय शेयर विलंब से जारी किए गए।
5	2202.02.109.96 सरकारी माध्यमिक विद्यालय	1,591.22	33.82	1,625.04	1,569.69	55.35	3.41	रिक्त पद, एम.ए.सी.पी./स्टैपिंग अप मामलों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया तथा बिलों की निकासी नहीं की गई।

6	2202.02.109.87 अतिरिक्त स्कूलिंग सुविधायें	3,305.28	417.83	3,723.11	3,669.27	53.84	1.45	रिक्त पद, एमएसीपी/स्टैंपिंग अप मामलों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया तथा बिलों की निकासी नहीं की गई।
अनुदान सं. 10 - विकास								
7	2245.02.101.97.99 प्राकृतिक आपदाओं के कारण सहायता	13.00	100.00	113.00	7.02	105.98	93.79	निधियों केवल प्राकृतिक आपदाओं पर सहायता के लिए आवंटित/आरक्षित थी।
अनुदान सं. 11 - शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग								
8	2216.80.190.92 कमजोर वर्ग (जेएनएनयुआरएम) के लिए गृह-निर्माण हेतु डीएसआईआईडीसी को अनुदान	8.00	492.00	500.00	320.24	179.76	35.95	विभिन्न कारणों से डीएसआईआईडीसी के संशोधित लागत के प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं किया गया।
9	2217.04.191.55 एएमआरयूटी (सीएसएस) के लिए दि.न.नि./न.दि.न. नि.पा. को स.अ.	200.00	- 27.00	173.00	0	173.00	100	कम अनुदान जारी किए गए तथा विभिन्न कारण हेतु भारत सरकार द्वारा निधियों को जारी नहीं किया गया।
10	2217.05.191.98 स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता	1,000.00	- 810.00	190.00	60.92	129.08	67.94	कम अनुदान जारी किए गए एवं नवीन आचार संहिता के कार्यान्वयन के कारण संस्वीकृति की प्राप्ति नहीं हुई।
11	2217.05.800.80 प्रत्येक विधान सभा में अवसंरचना जैसे सड़कों, गलियों, स्थानीय स्ट्रीट लाइट इत्यादि का सुदृढीकरण तथा विकास	225.00	175.00	400.00	288.28	111.72	27.93	विधान सभा क्षेत्र में विकास कार्य को कार्यान्वित करने हेतु जरूरी आवश्यकताओं को दी जाने वाली राशि रोकी गई।
12	2217.80.191.04.00 स्वच्छ भारत मिशन (सीएसएस)	192.00	- 36.00	156.00	53.12	102.88	65.95	कम अनुदान जारी किए गए तथा संस्वीकृति की प्राप्ति नहीं हुई।

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

पूँजीगत - दत्तमत								
अनुदान सं. 10 - विकास								
13	4515.00.103.93 आईडीआरवी के अधीन कार्यान्वित किए जाने वाले निर्माण कार्यों के लिए ग्रामीण विकास बोर्ड	155.80	7.38	163.18	110.72	52.46	32.15	आई एण्ड एफसी विभाग द्वारा निधियों का अभ्यर्पण
अनुदान सं. 11 - शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग								
14	4217.60.050.93 यमुनापार क्षेत्र में विभिन्न विकास निर्माण कार्यों का निष्पादन	48.00	52.00	100.00	49.52	50.48	50.48	नवीन आचार संहिता का कार्यान्वयन तथा संबंधित निष्पादन एंजिसियों द्वारा किए गए निवेदन का गैर- प्रस्तुतिकरण
15	4202.01.202.94 विद्यमान स्कूल भवनों में अतिरिक्त क्लासरूम का निर्माण	65.00	95.00	160.00	104.58	55.42	34.64	कार्य में धीमी प्रगति, संस्वीकृति प्रतिक्षित तथा निम्न स्तर पर निविदा प्राप्त की गई
कुल		10,045.54	(-1,341.81)	8,703.73	7,244.17	1,459.57		

परिशिष्ट 2.2

विभिन्न अनुदान/विनियोजन का विवरण जहाँ संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे
(प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ और उससे अधिक)

(पैराग्राफ 2.3.3 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचते	बचत के कारण
राजस्व-दत्तमत्त					
अनुदान सं. 03 - न्याय का प्रशासन					
1	2014.00.102.93.00.42 उच्च न्यायालय का कम्प्यूटरीकरण	1.00	0.00	1.00	योजना का गैर-कार्यान्वयन
2	2014.00.103.98 चयनित एमपी तथा एमएलए से संबंधित अपराधिक मामलों के संबंध में विचारण के लिए विशेष कोर्ट का गठन	1.19	0.00	1.19	निधियां/प्राधिकार/वित्तीय वर्ष 2018-19 के समाप्ति के अंत में प्राप्त किए गए
अनुदान सं. 04 - वित्त					
3	3451.00.102.95 दिल्ली में निवेश तथा इन्टरप्राइजेस के लिए ब्यूरो को सहायता अनुदान	1.00	0.00	1.00	गारंटी संस्थानों से वांछित अनुदानों की गैर-प्राप्ति
4	4059.01.051.86 व्यापार तथा कर एनेक्सी बिल्डिंग	1.50	0.00	1.50	कम मरम्मत निर्माण कार्य
अनुदान सं. 05 - गृह					
5	2056.00.101.98 ई.प्रिजन परियोजना का कार्यान्वयन (सीएसएस)	1.00	0.00	1.00	सू.त. विभाग की तकनीकी समिति की सहमति वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंत में प्राप्त हुई
अनुदान सं. 06 - शिक्षा					
6	2203.00.112.45 दिल्ली दक्षता/वोकेशनल यूनिवर्सिटी को सहायता अनुदान	1.00	0.00	1.00	योजना का गैर-कार्यान्वयन
7	2203.00.112.41 अनुसंधान अनुदान स्कीम	5.00	0.00	5.00	गैर-अन्तिमकरण तथा अनुमोदित दिशा-निर्देश, अनुदानों को जारी नहीं किया जा सका।

8	2205.00.102.57 नई भाषा अकादमी का गठन	2.00	0.00	2.00	कम रिक्त पद, कम क्रय तथा विभिन्न प्रशासनिक कारणों से स्कीम का गैर-कार्यान्वयन
9	2205.00.102.56.97 स्ट्रीट थियेटर तथा प्रफोर्मिंग आर्ट्स	2.44	0.00	2.44	कम क्रय, कम बिल विभिन्न प्रशासनिक कारणों से स्कीम का गैर-कार्यान्वयन
10	2202.03.102.87 प्रारंभिक वाल्यावस्था देखभाल केन्द्र के लिए अम्बेडकर यूनीवर्सिटी को सहायता अनुदान	2.00	0.00	2.00	कम अनुदान जारी करना तथा ए.यू.डी से किसी कंकरीट प्रस्ताव की गैर-प्राप्ति से निधियों का उपयोग नहीं किया गया।
11	2202.03.104.76 कॉलेज जाने वाली छात्राओं के लिए छात्रावास के निर्माण के लिए कॉलेज को सहायता अनुदान	1.00	0.00	1.00	ए.यू.डी से किसी कंकरीट प्रस्ताव की गैर-प्राप्ति से निधियों का उपयोग नहीं किया गया।
12	2202.03.112.87.00.42 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (सीएसएस)	1.00	0.00	1.00	कम बिल तथा यात्राएं, भारत सरकार से कम निधियों की प्राप्ति तथा वित्तीय वर्ष के अंत में राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के पुनर्गठन की प्रक्रिया
13	2202.03.112.86.00.42 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (स्टेट शेयर)	1.00	0.00	1.00	स्कीम की धीमी प्रगति तथा वित्तीय वर्ष के अंत में राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के पुनर्गठन की प्रक्रिया
अनुदान सं. 07 - चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य					
14	2210.01.200.79 हेल्थ कार्ड	2.00	0.00	2.00	कम खरीद तथा स्कीम को अन्तिम रूप नहीं दिया गया।
15	2210.06.800.68 दिल्ली में यूनिवर्सल हेल्थ केयर के लिए सोसायटी को सहायता अनुदान	2.70	0.00	2.70	स्कीम का गैर-कार्यान्वयन

16	2210.06.101.32.99 सूचना तकनीकी	1.00	0.00	1.00	कम खरीद तथा स्कीम के लिए वांछित अवसंरचना उपकरण तथा मानव श्रम की गैर-अनुपलब्धता।
17	2211.00.101.76 ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं	4.18	0.00	4.18	कम अनुदान जारी किया जाना तथा परिषद से कम सरकारी बिल प्राप्त किया जाना
18	2210.05.101.86.98 आयुष डिस्पेंसरियों को आवश्यक औषधियां (सीएसएस)	1.20	0.00	1.20	कम अनुदान जारी किया गया, कम खरीद, कम बिल तथा राज्य वार्षिक योजना स्कीम (एसएएपी) का गैर-अनुमोदन
19	2210.01.110.67 डॉ बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल	1.00	0.00	1.00	बिलों/दावों की गैर-प्राप्ति तथा कुछ बिल विवादास्पद थे
अनुदान सं. 09 - उद्योग					
20	3475.00.106.90.00.42 लीगल मैट्रोलोजी विंग (सीएसएस) का सुदृढीकरण	1.91	0.00	1.91	लो.नि.वि. द्वारा निर्माण कार्यों को आरम्भ नहीं किया गया
अनुदान सं. 10 - विकास					
21	2401.00.104.94 परम्परागत कृषि विकास योजना (सीएसएस)	4.71	0.00	4.71	वित्तीय वर्ष में आबंटित आरसी/एनजीओ द्वारा कार्यों को पूरा नहीं किया गया।
22	2405.00.101.87 नीली क्रांति एकीकृत विकास तथा मत्स्य पालन का प्रबंध (सीएसएस)	2.00	0.00	2.00	नवीन आचार संहिता के कार्यान्वयन के कारण व्यय संस्वीकृति प्राप्त नहीं की गई।
23	2405.00.101.86 नीली क्रांति एकीकृत विकास तथा मत्स्य पालन का प्रबंध (स्टेट शेयर)	1.20	0.00	1.20	नवीन आचार संहिता के कार्यान्वयन के कारण व्यय संस्वीकृति प्राप्त नहीं की गई।
24	2225.01.800.65 अल्पसंख्यक केन्द्रीयकरण जिलों के लिए बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	5.00	0.00	5.00	भारत सरकार से कम अनुदान की प्राप्ति तथा कार्यकारी एजेंसी जैसे लो.नि.वि. द्वारा स्कीम का गैर-संचालन
25	2225.03.277.77 अल्पसंख्यक छात्रों के लिए पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम (सीएसएस)	6.00	0.00	6.00	विभाग द्वारा स्कीम का गैर-संचालन

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

26	2235.60.200.61 गवाह सुरक्षा निधि	2.00	0.00	2.00	ऐसे मामलों की गैर-प्राप्ति
27	2245.80.102.92 आपदा आकस्मिक योजना/आपदा प्रत्याशित निधि	5.00	0.00	5.00	लेखांकन प्रक्रिया का गैर-अनुमोदन
28	2015.00.106.89.99 चुनावों पर व्यय	1.50	0.00	1.50	राज्य/सं शा. विधान सभा के चुनाव का गैर-प्रबंधन
अनुदान सं. 11 - शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग					
29	2215.01.101.99 न.दि.न.पा. द्वारा उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता	2.50	0.00	2.50	इसके लिए न.दि.न.पा. ने निवेदन नहीं किया
30	2215.02.191.86 राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम (सीएसएस)	34.00	0.00	34.00	कम अनुदान जारी करना तथा भारत सरकार द्वारा निधियों को जारी नहीं किया जाना
31	2216.80.190.86 सभी पी.एम.ए.वाई. के लिए गृह निर्माण हेतु डीयूएसआईबी को सहायता अनुदान (स्टेट शेयर)	1.00	0.00	1.00	कम अनुदान तथा केन्द्रीय शेयर का जारी नहीं किया जाना, राज्य शेयरों को उपयोग में नहीं लाया जा सका था।
32	2217.04.191.57 स्मार्ट सिटी के लिए न.दि.न.पा. को सहायता अनुदान (सीएसएस)	40.00	0.00	40.00	कम अनुदान जारी किया जाना तथा मंत्रालय को उनके दिशा निर्देशों के अनुसार न.दि.न.पा. द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्रों का प्रस्तुत न किया जाना
33	2217.04.191.55 एमएमआरयूटी के लिए न.दि.न.नि./न.दि.न.पा. को सहायता अनुदान	173.00	0.00	173.00	कम अनुदान जारी किया जाना तथा भारत सरकार द्वारा निधियों को जारी न किया जाना
34	2217.05.191.97 स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता	1.00	0.00	1.00	कम अनुदान को जारी करना तथा नवीन आचार संहिता के कार्यान्वयन के कारण संस्वीकृति प्राप्त नहीं की गई
35	2217.80.191.04.95 कैपेसिटी बिल्डिंग तथा ए एण्ड ओ.ई. के लिए शहरी विकास विभाग (सीएसएस)	1.00	0.00	1.00	कम बिल तथा संस्वीकृति प्राप्त नहीं की गई

36	2217.80.191.04.91 जन जागरूकता तथा आई.ई.सी. गतिविधियों के लिए शहरी विकास विभाग (सीएसएस)	3.00	0.00	3.00	कम बिल तथा संस्वीकृति प्राप्त नहीं की गई
37	2251.00.090.84 भूमि अधिग्रहण पुनर्वास तथा पुनर्निपटान (एलएआरआर) प्राधिकरण	1.50	0.00	1.50	प्रशासनिक कारणों से योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका
अनुदान सं. 13 - पेंशन					
38	2071.01.117.99 निर्दिष्ट अंशदान पेंशन स्कीम सरकारी अंशदान हेतु सरकारी अंशदान	21.25	0.00	21.25	भारत सरकार के साथ मामलों का निपटान नहीं किया गया तथा स्कीम का गैर-कार्यान्वयन
पूँजीगत - दत्तमत					
अनुदान सं. 06 - शिक्षा					
39	4202.02.104.87 न्यू पॉलीटेक्निक का गठन (सीएसएस)	4.00	0.00	4.00	स्कीम का गैर-कार्यान्वयन
40	4202.01.203.91 स्पोर्ट्स यूनीवर्सिटी की स्थापना	1.00	0.00	1.00	विधान सभा में स्पोर्ट्स यूनीवर्सिटी के प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं किया गया
अनुदान सं. 07 - चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य					
41	4210.04.107.94 राज्य औषधि तथा नियमन पद्धति का सुदृढीकरण (सीएसएस)	1.50	0.00	1.50	के.क्र.प्रा. से औषधि जांच की मशीनरी तथा उपकरण की खरीद के लिए प्रस्ताव को अन्तिम रूप नहीं दिया गया।
42	4210.04.107.93 राज्य औषधि तथा नियमन पद्धति का सुदृढीकरण (स्टेट शेयर)	1.00	0.00	1.00	के.क्र.प्रा. से औषधि जांच की मशीनरी तथा उपकरण की खरीद के लिए प्रस्ताव को अन्तिम रूप नहीं दिया गया।
अनुदान सं. 10 - विकास					
43	4250.00.101.99 आपदा आकस्मिक योजना/आपदा प्रत्याशित निधि	2.00	0.00	2.00	लेखांकन प्रक्रिया का गैर-अनुमोदन, आपदा प्रबंधन के लिए उपकरण की खरीद को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका

अनुदान सं. 11 - शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग					
44	4217.60.050.98 शहरी गांवों का विकास	1.00	0.00	1.00	कार्य की धीमी प्रगति तथा स्कीम को रोक दिया जाना
45	4059.01.051.79 सरकारी विज्ञापनों के लिए दिल्ली सरकारी भवनों/परिसरों पर होर्डिंग संरचना का निर्माण अधिष्ठापन	1.00	0.00	1.00	स्कीम का गैर-कार्यान्वयन
46	4059.01.052.98 सभी जेलों में सीसीटीवी निगरानी पद्धति का अधिष्ठापन/ओ एण्ड एम	25.00	0.00	25.00	कार्य के लिए निविदा को सौंपा नहीं जा सका क्योंकि संस्वीकृति की प्राप्ति बहुत देर से हुई
47	4202.01.600.92 सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरों का अधिष्ठापन	5.05	0.00	5.05	निर्माण कार्य में धीमी प्रगति
48	4235.02.101.86 सेवाकुटीर काम्पलैक्स किंग्सवे कैम्प, फेज-II में कॉलेज जाने वाले नेत्रहीन छात्रों (लड़कों) के लिए छात्रावास का निर्माण	1.00	0.00	1.00	स्कीम का गैर-कार्यान्वयन
49	4235.02.103.90 महिला कल्याण भवन	1.00	0.00	1.00	संस्वीकृति की गैर-प्राप्ति
50	4235.02.103.88 कार्यशील महिला छात्रावास का निर्माण	1.50	0.00	1.50	निर्माण कार्य की धीमी प्रगति तथा दस्तावेज की कमी के कारण स्थानीय निकाय द्वारा आहरणों को अनुमोदित नहीं किया गया
51	5054.04.101.95 आउटर रिंग रोड पर मजनु का टीला तथा मैकॉफ हाऊस पर फ्लाइओवर	1.00	0.00	1.00	प्रशासनिक अनुमोदित तथा व्यय संस्वीकृति की गैर-प्राप्ति
52	5054.04.101.91 हाफ फ्लाइओवर का निर्माण	1.00	0.00	1.00	ऐसे कार्य का गैर-आवंटन
53	5054.04.101.83 शास्त्रीपार्क इन्टसेक्शन तथा सीलमपुर में फ्लाइओवर का निर्माण	10.00	0.00	10.00	वित्तीय वर्ष समाप्ति के अंत में कार्यों को सौंपा गया
54	5054.04.101.79 अप्सरा बोर्डर आरओबी दिल्ली के आन्नद विहार आरओबी से रोड सं. 56 पर ग्रेड सेपरेटर/फ्लाइओवर का निर्माण	1.00	0.00	1.00	सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस कार्य की प्रारंभिक अनुमान को संस्वीकृति नहीं किया गया

55	5054.04.337.88 लो.नि.वि. सड़कों का भूमि अवरोधन	1.00	0.00	1.00	कार्य की धीमी प्रगति तथा कार्य का प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय संस्वीकृति प्राप्त नहीं की गई
56	5054.04.800.79 वार्ड-फार्ड- दिल्ली	5.00	0.00	5.00	निर्माण कार्य की धीमी प्रगति तथा संस्वीकृति की गैर-प्राप्ति
	कुल	404.83	0.00	404.83	

परिशिष्ट 2.3

अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान
(पैराग्राफ 2.3.4 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधानों में से बचतें	अनुपूरक प्रावधान
राजस्व दत्तमत					
अनुदान सं. 3 - न्याय का प्रशासन					
1	2014.00.105.99 सिविल एण्ड सेशन कोर्ट	849.74	731.74	118.00	124.22
2	2014.00.108.99 न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट	61.89	49.51	12.38	8.11
अनुदान सं. 5 - गृह					
3	2056.00.101.98 ई-प्रिजन परियोजना का कार्यान्वयन (सीएसएस)	शून्य	शून्य	शून्य	1.00
अनुदान सं. 10 - विकास					
4	2401.00.104.94 परंपरागत कृषि विकास योजना (सीएसएस)	शून्य	शून्य	शून्य	4.71
पूंजीगत दत्तमत					
अनुदान सं. 5 - गृह					
5	4070.00.800.98 दिल्ली अग्नि सेवा	20.00	5.53	14.47	13.03
अनुदान सं. 10 - विकास					
6	4515.00.103.93 आईडीआरवी के अधीन कार्यान्वित किए जाने वाले निर्माण कार्यों के लिए ग्रामीण विकास बोर्ड	155.80	110.72	45.08	7.38
7	4515.00.789.97 आईडीआरवी के अधीन कार्यान्वित किए जाने वाले निर्माण कार्यों के लिए ग्रामीण विकास बोर्ड (एससीएसपी)	34.20	24.31	9.89	1.62
राजस्व प्रभारित					
अनुदान सं. 7 - चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य					
8	2210.01.001.98 चिकित्सा स्थापना	शून्य	शून्य	शून्य	0.80
	कुल	1,121.63	921.81	199.82	160.87

परिशिष्ट 2.4

निधियों का अधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन
(जहाँ अंतिम बचतें ₹ एक करोड़ से अधिक थी)

(पैराग्राफ 2.3.5 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	शीर्ष	पुनर्विनियोजन	अंतिम बचत	बचतों के कारण
अनुदान सं. 2 - सामान्य प्रशासन अनुभाग				
1	2052.00.090.55 मुख्य सचिवालय	9.46	10.20	अधिकारियों के विदेशी टूर तथा स्टाफ के स्थानांतरण को कार्यान्वित नहीं किया गया
अनुदान सं. 3 - न्याय प्रशासन				
2	2014.00.108.99 न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट	1.38	21.87	प्रत्याशित बिलों की गैर-प्राप्ति तथा प्रशासनिक कारणों के कारण कुछ मदों का क्रय नहीं किया जा सका था
3	2014.00.103.98 चयनित एमपी तथा एमएलए से संबंधित अपराधिक मामलों के विचारण के लिए विशेष कोर्ट का गठन	0.01	1.19	निधियां/प्राधिकार वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंत में प्राप्त की गई
4	2014.00.117.99 परिवारिक कोर्ट का गठन	1.75	4.17	कम्प्यूटर, फोटोकॉपी मशीन इत्यादि के क्रय प्रस्तावों का लंबन तथा एंजेसियों द्वारा आउटसोर्स स्टाफ के संबंध में पिछले कुछ महीनों के वेतन तथा यात्रा बिलों को प्रस्तुत नहीं किया गया
5	2015.00.102 चुनावी अधिकारी (प्रभारित)	1.49	1.50	माननीय उच्च न्यायालयों में मामलों का लंबन
6	2015.00.102 चुनावी अधिकारी (दत्तमत)	2.00	2.20	रिक्त पद तथा वैंडर्स द्वारा बिलों का गैर-प्रस्तुतीकरण
अनुदान सं. 5 - गृह				
7	2056.00.001.99 जेल स्थापना	6.55	27.79	रिक्त पद तथा टीएसपी से प्राप्त की गई बिलों की राशि घट गई
8	2070.00.106.95 सिविल सुरक्षा तथा होम गार्ड	0.81	1.30	रिक्त पद, सिविल सुरक्षा स्वयंसेवकों द्वारा दावा किए गए शुल्क बिलों की कम राशि तथा दो नए जिलों के लिए नए

क्रम सं.	शीर्ष	पुनर्विनियोजन	अंतिम बचत	बचतों के कारण
				फर्नीचर की खरीद के लिए आचार संहिता औपचारिकताओं का पूर्ण न होना
9	2070.00.108.79 प्रशिक्षण	1.00	2.84	रिक्त पद, कम संख्या में टूर तथा 594 प्रशिक्षणार्थियों के लिए सक्षम प्राधिकारी से खाद्य एवं किट तथा उपकरणों के भुगतान हेतु अनुमोदन की गैर-प्राप्ति
अनुदान सं. 6 - शिक्षा				
10	2202.02.052.95 स्कूल विस्तारण कार्यक्रम	1.00	1.59	स्कूलों तथा प्रशासनिक शाखाओं द्वारा निधियों का उपयोग
11	2202.02.800.36 निजी विद्यालयों में निशुःलक कोटा के अधीन दाखिल किए गए छात्राओं को पठनीय पुस्तकों/वर्दी के लिए सहायता अनुदान	1.00	1.62	कम अनुदान जारी करना तथा जिलों द्वारा निधियों का कम उपयोग किया जाना
12	2203.00.112.50 दिल्ली फार्मास्ट्यूकिल साईंसिंज तथा रिसर्च को सहायता अनुदान	1.00	1.15	डीपीएसआरयू के पास पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता के प्रति वित्त/योजना विभाग द्वारा निधियां प्रतिबंधित की गयी।
13	2204.00.102.96 एनसीसी/एसीसी छात्रों के लिए यूथ वेलफेयर कार्यक्रम	1.56	2.51	विभिन्न एनसीसी ईकाईयों द्वारा अन्तिम चरण में निधियों का समर्पण, एनसीसी केडर्स के लिए बंकबेड (फर्नीचर) तथा सु.त. संयंत्रों का क्रय नहीं किया गया
14	2205.00.102.91 उर्दू अकादमी को अनुदान	0.98	1.14	अन्य ठेकेदारों से विज्ञापन बिलों की गैर-प्राप्ति तथा आगामी वित्तीय वर्ष में स.अ. की पहली किश्त की प्राप्ति
अनुदान सं. 07 - चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य				
15	2210.01.110.29 अस्पताल तथा डिस्पेंसरिया भगवान महावीर अस्पताल	3.04	3.71	ठेकेदार द्वारा बिलों का गैर-प्रस्तुतीकरण तथा कम दावों/बिलों की प्राप्ति

क्रम सं.	शीर्ष	पुनर्विनियोजन	अंतिम बचत	बचतों के कारण
16	2210.01.789.95 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना: बाबू जगजीवन राम अस्पताल (एससीएसपी)	2.27	2.88	रिक्त पदों का भरा न जाना, 7 ^{वें} के.वे.आ. द्वारा ओ.टी.ए. का उन्मूलन दावों/बिलों की कम प्राप्ति तथा ठेकेदार द्वारा आचार संहिता औपचारिकताओं के गैर-अनुपालन के कारण कुछ बिलों पर कार्रवाई नहीं की जा सकी
अनुदान सं. 09 - उद्योग				
17	2851.00.001.99 गांव तथा लघु उद्योग: मुख्यालय स्थापना	0.10	1.38	रिक्त पद, स्टाफ के स्थानान्तरण तथा नवीन आचार संहिता प्रबंधन के कारण कुछ खरीद को कार्यान्वित नहीं किया जा सका
18	3475.00.106.90.00.42 लीगल मैट्रोलाजी विंग का सुदृढीकरण (सीएसएस)	0.37	1.91	लो.नि.वि. द्वारा कार्य आरम्भ नहीं किया गया
अनुदान सं. 10 - विकास				
19	2403.00.101.70 अस्पतालों डिस्पेंसरियों में पशु चिकित्सा सेवाओं तथा आकस्मिक बिमारियों का नियंत्रण	4.99	6.10	नवीन आचार संहिता के कारण औषधि निविदा को अन्तिमरूप नहीं दिया गया
20	2053.00.093.95 जिला स्थापना: सचिव राजस्व	0.20	4.08	रिक्त पदों को भरा नहीं गया तथा सक्षम प्राधिकारियों की कुछ संस्वीकृतियों को निष्पादित नहीं किया जा सका तथा जिला अधिकारियों के अभिलेख की डिजिटलीकरण/स्केनिंग के कार्यों को भी निष्पादित नहीं किया जा सका
21	2070.00.800.64.99 सिविल सुरक्षा निर्देश तथा प्रशासन	1.31	4.55	रिक्त पदों का न भरा जाना तदनुसार वर्ष 2018-19 के दौरान अन्य व्यय चिकित्सा तथा अन्य प्रभार इत्यादि कम थे
22	2245.02.101.97.99 सचिव राजस्व: अन्य मदें	99.99	105.98	निधियां केवल प्राकृतिक आपदाओं के समय वित्त सहायता हेतु आवंटित/आरक्षित थीं

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्रम सं.	शीर्ष	पुनर्विनियोजन	अंतिम बचत	बचतों के कारण
23	2053.00.093.89 जिला स्थापना: पश्चिमी क्षेत्र	0.47	2.76	रिक्त पदों को भरा नहीं गया, दावों/बिलों की कम प्राप्ति, फर्नीचर की खरीद न किया जाना तथा अनुमोदन की प्राप्ति न किए जाने के कारण कुछ बिलों का भुगतान नहीं किया जा सका
24	2053.00.093.87 जिला स्थापना: उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र	0.35	1.83	रिक्त पदों को भरा नहीं गया, अम्बेडकर भवन, रोहिणी में किराये के भवनों की बिजली के बिलों की गैर-प्राप्ति
25	2015.00.103.93 चुनावी कागजातों को तैयारी/प्रिंटिंग: उत्तरी जिला	0.50	1.02	वोटर्स केन्द्रों से बीएलओ भुगतान प्रपत्र के संबंध में फाइलों की गैर-प्राप्ति
अनुदान सं. 11 - शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग				
26	2052.00.090.60 शहरी विकास विभाग	0.15	1.55	रिक्त पदों का भरा न जाना
27	2217.80.191.13 नगर निगम सुधारों के लिए सहायता अनुदान	12.58	13.58	5 ^{वें} डीएफसी का कार्यान्वयन जहां एमआरएफ की सिफारिश नहीं की गई
28	2059.80.053.94 विभागीय आयुक्त कार्यालय	1.00	1.30	निचले स्तर पर निविदा तथा संस्वीकृतियों की गैर-प्राप्ति
29	3054.04.800.94.98 स्ट्रीट लाईट बिजली के बिल	7.95	8.78	आवंटन बिना किसी आकलन के एकमुश्त आधार पर था
30	2251.00.090.85 भूमि तथा भवन विभाग	0.01	3.16	रिक्त पदों का भरा न जाना
पूंजीगत दत्तमत				
अनुदान सं. 05 - गृह				
31	4070.00.800.98 दिल्ली अग्नि सेवा	4.97	32.47	101 अग्निशमन उपकरणों की खरीद के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन की गैर-प्राप्ति
32	4055.00.800.99 फारेंसिक साईंस लेबोरेटरी	0.99	4.84	प्रशासनिक कारणों से कुछ प्रस्तावों को कार्यान्वित नहीं किया जा सका
अनुदान सं. 06 - शिक्षा				
33	4250.00.201.88 उपकरण	3.00	7.54	सीएनसी मशीनों तथा खराद मशीन की निविदाओं को अन्तिमरूप नहीं दिया जा सका

क्रम सं.	शीर्ष	पुनर्विनियोजन	अंतिम बचत	बचतों के कारण
अनुदान सं. 07 - चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य				
34	4210.04.107.93राज्य औषधि तथा नियमन प्रणाली का सुदृढीकरण (स्टेट शेयर)	0.58	1.00	के.क्र.प्रा. से औषधि जांच लेबोरेटरी की मशीनरी तथा उपकरण की खरीद के लिए प्रस्ताव को अन्तिम रूप नहीं दिया गया
अनुदान सं. 10 - विकास				
35	4403.00.101.90 अस्पतालों तथा डिस्पेंसरियों में पशु चिकित्सा सेवाओं तथा आकस्मिक रोगों का नियंत्रण	1.30	3.19	निविदा को अन्तिम रूप नहीं दिया गया
अनुदान सं. 11 - शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग				
36	4055.00.212.90 दिल्ली फारेंसिक साईंस लेबोरेटरी	0.50	1.11	निचले स्तर पर कुछ निविदा तथा संस्वीकृतियां प्रतीक्षित थीं
37	4070.00.800.98 दिल्ली अग्नि सेवार्यें	2.95	3.29	बजट वित्तीय वर्ष के अंत में प्राप्त किया गया
38	4235.02.101.87 मानसिक रूप से विकसित के लिए गृहों का विकास	3.30	3.60	स्ट्रक्चर प्लान ड्राईंग्स निर्णय के लिए जिला कोर्ट के समक्ष लंबित थे।
39	5054.04.101.83 शास्त्री पार्क इन्टरसेक्शन तथा सीलमपुर में फ्लाइओवर का निर्माण	9.99	10.00	कार्य आबंटित नहीं किया गया
40	5054.04.101.79 आन्नद विहार आरओबी से अप्सरा बोर्डर आरओबी रोड़ सं. 56 पर ग्रेड सेपरेटर/फ्लाइओवर का निर्माण	0.99	1.00	सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस कार्य का पूर्व आकलन संस्वीकृत नहीं किया गया था
41	5475.00.800.94 भार तथा माप विभाग के लिए भवन का निर्माण	0.80	2.23	निविदाओं को दो बार आमंत्रित किया गया परन्तु निम्नतम निविदा को उसकी पेशगी रकम प्राप्त हुई
	कुल	194.63	315.91	

परिशिष्ट 2.5

वास्तविक प्रावधानों के ₹10 करोड़ तथा 70 प्रतिशत से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण के मामले
(पैराग्राफ 2.3.6 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मुख्य शीर्ष/उप शीर्ष	मूल प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	मूल प्रावधान की प्रतिशतता	अभ्यर्पण के कारण
1	अनुदान सं. 4 वित्त	7615.00.200.76 स्वायत्त/स्थानीय निकायों के अर्थोपाय	700.00	700.00	100.00	ऋण जारी नहीं किए गए
2	अनुदान सं. 6 शिक्षा	4202.01.600.93 डीएसआईआईडीसी के द्वारा स्कूलों में सीसीटीवी कैमरा	175.00	175.00	100.00	स्कीम का गैर-कार्यान्वयन
3		4202.02.105.82 स्वायत्त संस्थानों/विश्वविद्यालयों की अवसंरचना परियोजना	64.00	50.00	78.13	कार्य की धीमी प्रगति तथा 2018-19 में एसपीएस क्लासरूम प्रस्ताव निविदाओं को कार्यान्वित नहीं किया गया
4	अनुदान सं. 7 चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य	2210.01.200.89.99 इन्श्योरेंस कंपनियों को भुगतान	100.00	100.00	100.00	योजना का क्रियान्वयन नहीं किया गया
5		4210.01.110.64 केन्द्रीय क्रय एंजेंसी तथा स्टेट ड्रग अथोरिटी	180.00	124.58	70.00	कम खरीद, प्रेषण/आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रेषण रसीद प्रमाणपत्र का तथा ई-मेल स्वीकार्य प्रमाणपत्र का गैर-प्रस्तुतीकरण
6	अनुदान सं. 9 उद्योग	3456.00.102.98 गरीबी रेखा से नीचे फोकस के साथ जन वितरण प्रणाली को कारगर बनाना	300.00	248.65	82.88	कम बिल तथा कार्य में धीमी प्रगति
7	अनुदान सं. 11 शहरी विकास तथा लोक	4202.01.600.92 सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरों का अधिष्ठापन	175.00	169.85	97.06	कार्य की धीमी प्रगति
8	निर्माण विभाग	4210.01.110.63 डिस्पेंसरियों के वर्तमान भवनों का उन्नतिकरण	103.00	78.00	75.73	स्थानीय निकायों से अनुमोदन की गैर-प्राप्ति के कारण निर्माण कार्य

						की धीमी प्रगति तथा निविदा प्रक्रिया में विलम्ब हुआ
9		4235.02.101.84 नरेला में मानसिक रूप से विकसित व्यक्तियों के लिए गृह-निर्माण	12.00	12.00	100.00	स्कीम का गैर-कार्यान्वयन
10		5054.04.101.86 रामपुरा, त्रिनगर/इन्दरलोक तथा कर्मपुरा दिल्ली में एनएस 10 पर पुलों का चौड़ीकरण	20.00	18.00	90.00	कार्य की धीमी प्रगति
11		5054.04.800.89 सीआरएफ स्कीम	10.00	10.00	100.00	कार्य की धीमी प्रगति
12		4801.05.800.87 एचटी/एलटी ट्रांसमिशन इलैक्ट्रिसिटी लाईन्स की शिफ्टिंग	30.00	26.00	86.67	कार्य की धीमी प्रगति तथा निधियां केवल उन्हीं मामलों में जारी की गई जहां वांछित औपचारिकताएं पूरी की गई थीं तथा पॉलिसी कवर की गई थी
13		6801.00190.93 आईपीजीसीएल/पीपीसीएल को ऋण	300.00	300.00	100.00	आईपीजीसीएल/पीपीसीएल को ऋण जारी नहीं करना।
14	अनुदान सं. 13 पेंशन	2071.01.117.99. सरकारी अंशदान	122.00	100.75	82.58	भारत सरकार के साथ मामलों का गैर निपटान तथा स्कीम का गैर-कार्यान्वयन
	कुल		2,291.00	2,112.83		

परिशिष्ट 2.6

₹ एक करोड़ और अधिक की बचतें जिसका अभ्यर्पण नहीं हुआ, का विवरण
(पैराग्राफ 2.3.7 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग का नाम तथा सं.	दत्तमत/प्रभारित	बचतें		अभ्यर्पण		बचतें जिनका अभ्यर्पण किया जाना था	
			राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
1	अनुदान सं. 2 सामान्य प्रशासन विभाग	दत्तमत	328.30	0	175.56	0	152.74	0
		प्रभारित	4.60	0	2.14	0	2.46	0
2	अनुदान सं. 3 न्याय का प्रशासन	दत्तमत	294.96	0	82.92	0	212.04	0
		प्रभारित	50.55	0	25.50	0	25.05	0
3	अनुदान सं. 4 वित्त	दत्तमत	83.91	707.92	30.92	702.15	52.99	5.77
4	अनुदान सं. 5 गृह	दत्तमत	79.66	0	15.26	0	64.40	0
5	अनुदान सं. 6 शिक्षा	दत्तमत	3,135.82	389.80	2,700.60	334.06	435.22	55.74
6	अनुदान सं. 7 चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य	दत्तमत	654.68	165.26	361.12	125.19	293.56	40.07
		प्रभारित	3.82	0	0.52	0	3.30	0
7	अनुदान सं. 9 उद्योग	दत्तमत	284.29	3.17	268.87	2.08	15.42	1.09
8	अनुदान सं. 10 विकास	दत्तमत	517.62	129.57	199.80	34.06	317.82	95.51
9	अनुदान सं. 11 शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग	दत्तमत	1,063.69	2,138.43	10.05	1,526.95	1,053.64	611.48
10	अनुदान सं. 13 पेंशन	दत्तमत	122.82	0.00	100.75	0.00	22.07	0.00
	कुल		6,624.72	3,534.15	3,974.01	2,724.49	2,650.71	809.66

परिशिष्ट 2.7

वर्ष 2018-19 की समाप्ति पर व्यय का द्रुतप्रवाह
(पैराग्राफ 2.3.8 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	लेखों के शीर्ष	कुल बजट	मूल प्रावधान	कुल व्यय	2018-19 की अंतिम तिमाही के दौरान किया गया व्यय		मार्च 2019 में किया गया व्यय	
					राशि	प्रतिशतता	राशि	प्रतिशतता
अनुदान सं. 3 - न्याय का प्रशासन								
1	2015.00.105.90.00.13	13.95	13.95	13.85	12.88	93.00	11.74	84.77
अनुदान सं. 6 - शिक्षा								
2	2202.01.111.98.00.31	20.00	20.00	19.99	17.13	85.69	17.13	85.69
3	2202.02.109.90.00.20	15.00	15.00	14.05	14.00	99.64	13.97	99.43
4	4202.03.800.98.00.53	10.30	10.30	10.30	10.30	100.00	10.05	97.57
5	4250.00.201.87.00.53	50.00	50.00	50.00	28.22	56.44	28.22	56.44
अनुदान सं. 7 - चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य								
6	2210.01.800.41.00.31	60.00	60.00	60.00	37.65	62.75	35.32	58.87
7	2210.80.800.59.00.32	50.00	50.00	50.00	37.50	75.00	37.50	75.00
8	4210.01.110.64.00.52	49.64	49.64	36.75	35.02	95.29	21.31	57.99
9	4210.01.110.93.00.52	20.85	20.85	20.75	11.07	53.34	10.95	52.67
अनुदान सं. 10 - विकास विभाग								
10	2053.00.093.83.00.50	81.45	81.45	81.45	49.23	60.44	49.23	60.44
अनुदान सं. 11 - शहरी विकास विभाग								
11	2216.80.190.92.00.35	500.00	500.00	320.24	320.24	100.00	320.24	100.00
12	2216.80.789.98.00.35	100.00	100.00	50.82	50.82	100.00	50.82	100.00
13	2801.05.800.80.00.42	20.45	20.45	20.44	20.44	100.00	20.44	100.00
14	4202.01.202.94.00.53	160.00	160.00	104.58	86.09	82.32	93.73	89.63
15	4202.01.789.97.00.53	40.00	40.00	15.40	12.30	79.87	10.97	71.23
16	4217.60.050.93.00.53	100.00	100.00	49.52	37.43	75.59	32.22	65.06
17	5054.04.800.81.00.53	35.05	35.05	11.89	11.88	99.92	11.88	99.92
18	5054.04.800.88.00.53	21.95	21.95	21.39	14.57	68.12	14.05	65.68
19	6215.01.191.69.00.55	12.00	12.00	12.00	12.00	100.00	12.00	100.00
20	6215.01.191.70.00.55	80.00	80.00	80.00	80.00	100.00	80.00	100.00
21	6215.01.191.80.00.55	12.50	12.50.00	12.50	12.50	100.00	12.50	100.00
22	6215.02.191.81.00.55	19.86	19.86	19.85	19.85	100.00	19.85	100.00
23	6215.02.191.85.00.55	32.00	32.00	32.00	32.00	100.00	32.00	100.00
24	6215.02.191.86.00.55	33.00	33.00	33.00	33.00	100.00	33.00	100.00
25	6217.60.191.83.00.55	200.00	200.00	200.00	200.00	100.00	200.00	100.00
26	6217.60.800.98.00.55	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00	20.00	100.00
कुल			1,758.00	1,360.78	1,216.11		1,199.11	

परिशिष्ट 2.8
अवास्तविक बजटिंग के कारण संपूर्ण प्रावधानों की बचत
(पैराग्राफ 2.5 (V) को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विस्तृत शीर्ष	मूलधन+ अनुपूरक+ पुनर्विनियोजन	व्यय	बचत
2016-17 (राजस्व)				
1	2235.02.101.50.00.42	2.00	शून्य	2.00
2	2235.02.101.48.00.42	0.50	शून्य	0.50
3	2235.02.102.33	0.49	शून्य	0.49
4	2235.02.102.30.00.42	0.20	शून्य	0.20
5	2235.02.103.25	0.74	शून्य	0.74
6	2225.01.277.66.00.34	0.22	शून्य	0.22
7	2225.01.277.49	0.89	शून्य	0.89
8	2225.01.789.83.00.42	0.10	शून्य	0.10
9	2225.01.789.82	0.90	शून्य	0.90
10	2225.01.789.81.	1.00	शून्य	1.00
11	2225.01.800.74.00.42	0.50	शून्य	0.50
12	2225.02.190.98	1.00	शून्य	1.00
13	2225.80.789.95.00.42	3.00	शून्य	3.00
14	2225.80.800.65.00.42	3.00	शून्य	3.00
15	2225.80.800.64.00.50	1.00	शून्य	1.00
16	2225.80.800.63.00.50	1.00	शून्य	1.00
17	3055.00.001.88	0.30	शून्य	0.30
18	3452.01.190.76	0.75	शून्य	0.75
19	3452.80.190.93	0.10	शून्य	0.10
20	3452.80.190.90	0.50	शून्य	0.50
21	3452.80.190.85	7.00	शून्य	7.00
2016-17 (पूंजीगत)				
22	4235.02.101.82	3.00	शून्य	3.00
23	5055.00.800.97.00.42	11.73	शून्य	11.73
2017-18 (राजस्व)				
24	2235.02.101.48	0.10	शून्य	0.10
25	2235.02.104.62	0.10	शून्य	0.10
26	2235.02.102.36	1.00	शून्य	1.00
27	2235.02.103.44	0.13	शून्य	0.13
28	2235.02.103.31	2.00	शून्य	2.00
29	2235.02.103.29	1.00	शून्य	1.00
30	2235.02.103.25	0.74	शून्य	0.74
31	2235.02.103.24	0.80	शून्य	0.80
32	2235.02.103.23	0.50	शून्य	0.50
33	2235.02.103.21	3.90	शून्य	3.90
34	2236.02.101.75	0.52	शून्य	0.52
35	2225.01.277.66	0.22	शून्य	0.22
36	2225.01.277.58	0.27	शून्य	0.27
37	2225.01.277.49	0.10	शून्य	0.10
38	2225.01.789.98	0.22	शून्य	0.22
39	2225.01.789.83	0.10	शून्य	0.10
40	2225.01.789.82	0.10	शून्य	0.10

41	2225.01.789.81	0.10	शून्य	0.10
42	2225.01.800.74	0.50	शून्य	0.50
43	2225.80.789.95	2.00	शून्य	2.00
44	2225.80.800.65	2.30	शून्य	2.30
45	2225.80.800.64	0.50	शून्य	0.50
46	2225.80.800.63	0.10	शून्य	0.10
47	3452.01.190.98	0.50	शून्य	0.50
48	3452.01.190.76	0.50	शून्य	0.50
2017-18 (पूँजीगत)				
49	4235.02.104.98	3.74	शून्य	3.74
50	4235.02.102.98	1.00	शून्य	1.00
51	4235.02.800.93	1.50	शून्य	1.50
52	5055.00.050.87	0.71	शून्य	0.71
53	5055.00.190.78	1.00	शून्य	1.00
2018-19 (राजस्व)				
54	2235.02.101.61	0.10	शून्य	0.10
55	2235.02.104.62	0.10	शून्य	0.10
56	2235.02.107.79	0.01	शून्य	0.01
57	2235.02.200.81	0.10	शून्य	0.10
58	2235.02.102.60	0.42	शून्य	0.42
59	2235.02.102.30	0.28	शून्य	0.28
60	2235.02.102.24	1.00	शून्य	1.00
61	2235.02.102.22	0.50	शून्य	0.50
62	2235.02.102.20	2.57	शून्य	2.57
63	2235.02.102.19	1.71	शून्य	1.71
64	2235.02.103.25	0.31	शून्य	0.31
65	2235.02.103.19	0.40	शून्य	0.40
66	2235.02.107.90	0.40	शून्य	0.40
67	2236.02.101.71	0.46	शून्य	0.46
68	2225.01.277.50	2.40	शून्य	2.40
69	2225.01.800.74	0.50	शून्य	0.50
70	2225.80.789.98	0.13	शून्य	0.13
71	2225.80.789.97	1.60	शून्य	1.60
72	2225.80.789.95	1.00	शून्य	1.00
73	2225.80.800.65	1.00	शून्य	1.00
74	2225.80.800.63	0.10	शून्य	0.10
75	3452.80.190.82	0.38	शून्य	0.38
2018-19 (पूँजीगत)				
76	4235.02.104.98	4.00	शून्य	4.00
77	4235.02.102.98	3.00	शून्य	3.00
78	4235.02.103.98	1.00	शून्य	1.00
79	4235.02.800.93	1.50	शून्य	1.50

परिशिष्ट 3.1

31 मार्च 2019 तक देय, प्राप्त एवं बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों का विवरण
(पैराग्राफ 3.2 को देखें)

क्र. सं.	शीर्ष का नाम	वर्ष	देय उपयोगिता प्रमाणपत्र		प्राप्त उपयोगिता प्रमाणपत्र		बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र	
			मद	राशि (₹ लाख में)	मद	राशि (₹ लाख में)	मद	राशि (₹ लाख में)
1	उत्तरी दि.न.नि.	2015-16	36	3,08,059.52	33	2,98,750.56	3	9,308.96
2	दक्षिणी दि.न.नि.	2015-16	40	2,43,150.39	34	1,91,409.23	6	51,741.16
3	पूर्वी दि.न.नि.	2015-16	37	1,68,977.24	36	1,64,778.58	1	4,198.66
4	दिल्ली छावनी बोर्ड	1994-95	119	7,585.24	4	3,146.21	115	4,439.03
5	दिल्ली जल बोर्ड	2015-16	138	4,09,572.28	138	3,75,372.65	0*	34,199.63
6	एनडीएमसी	1993-94	27	65,705.58	6	7,519.00	21	58,186.58
7	डीयूसआईबी	2011-12	37	1,03,648.38	10	27,086.40	27	76,561.98
8	डीएसआईआईसी	2016-17	1	48,838.81	1	14,357.06	0*	34,481.75
9	डीटीडीसी	2014-15	2	867.35	2	861.83	0*	5.52
10	पर्यटन विभाग	1998-99	35	10,952.22	15	2,573.73	20	8,378.49
11	शिक्षा विभाग	2001-02	93	1,89,191.69	85	1,64,045.25	8	25,146.44
12	हायर एजुकेशन	2014-15	4	86,100.00	4	86,100.00	0	0.00
13	पर्यावरण विभाग	2017-18	3	803.81	3	803.81	0	0.00
14	कला संस्कृति एवं भाषा विभाग	2017-18	30	10,048.01	30	10,048.01	0	0.00
15	एससी/एसटी/ओबीसी के कल्याण के लिए निदेशालय	1995-96	142	6,293.80	142	6,293.80	0	0.00
16	सामान्य प्रशासन विभाग	2010-11	0	232.28	0	47.56	0*	184.72
17	सूचना तथा तकनीकी विभाग	2006-07	6	592.82	6	592.82	0	0.00
18	कानून विभाग	2009-10	9	2,145.00	9	2,037.64	0*	107.36
19	ऊर्जा विभाग	2017-18	2	1,797.35	2	1,054.80	0*	742.55
20	योजना विभाग	2017-18	1	11.00	1	11.00	0	0.00
21	परिवहन विभाग (डीटीसी)	2017-18	2	2,00,700.00	0	0.00	2	2,00,700.00
22	एसपीसीए (पशुपालन)	2017-18	15	1,394.77	15	1,394.77	0	0.00
23	परिवार कल्याण निदेशालय	2016-17	14	8,306.52	9	8,029.92	5	276.60
24	सड़क सुरक्षा कक्ष	2005-06	1	70.10	0	19.50	1	50.60
25	प्रशिक्षण तथा तकनीकी शिक्षा निदेशालय (डीटीडीई)	2007-08	179	1,01,663.54	164	98,510.45	15	3,153.09
26	पूसा पोलीटेक्निक	2011-12	3	2.47	0	0.00	3	2.47
27	एससीवी रमन आईटीआई	2012-13	3	4.08	2	3.83	1	0.25

* उपयोगिता प्रमाण-पत्र 'शून्य' के रूप में दर्शाया गया है क्योंकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अप्रयुक्त शेष अगले वर्ष के दौरान जारी किए जाने वाले सहायता अनुदान से समायोजन के अधीन था।

28	आई.एस.एम. एण्ड एच निदेशालय	2002-03	18	4,766.78	16	4,764.33	2	2.45
29	समाज कल्याण निदेशालय	1993-94	1,938	5,103.54	409	487.00	1529	4,616.54
30	डी.एल.एस.ए.	2017-18	2	64.94	2	64.94	0	0.00
31	स्वास्थ्य सेवायें निदेशालय	1998-99	1023	5,67,680.67	1014	5,67,411.25	9	269.42
32	औद्योगिक विभाग	2015-16	37	3,341.54	32	3,194.40	5	146.14
		कुल	3997	25,57,671.72	2,224	20,40,771.33	1,773	5,16,900.39

परिशिष्ट 3.2

निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा की स्थिति का विवरण

(पैराग्राफ 3.3 को देखें)

क्र.सं.	निकायों/प्राधिकरणों के नाम	नि.म.ले.प. को लेखों की लेखापरीक्षा सौंपे जाने की अवधि	जिस वर्ष तक के लेखे जमा कराए गए	जिस अवधि तक के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एस ए आर) जारी किए गए	विधायिका में प्रस्तुत की गई एस ए आर	वर्ष जिनके लेखे देय हैं	लेखे जमा करने में विलम्ब की अवधि (वर्ष में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	दिल्ली कल्याण समिति (दि.क.स.)	नि.म.ले.प. के डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 20 (1) के अंतर्गत वर्ष 2014-15 से 2022-23 के लिए सौंपा जाना	2014-17	2016-17	विधान मंडल में पेश नहीं की गई	2017-18	1
2.	गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (जी.जी.एस.आई.पी.यू)	नि.म.ले.प. के डी.पी.सी. अधिनियम धारा 19(3) के अंतर्गत लेखापरीक्षा	2017-18	2017-18	प्रस्तुत की जानी है।	-	-
3.	नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.एस.आई.टी)	2017-18 से 2021-22 नि.म.ले.प. के डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत लेखापरीक्षा	2015-16	2014-15	प्रस्तुत की जानी है।	2016-17 एवं 2017-18	2
4.	दिल्ली जल बोर्ड (दि.ज.बो.)	नि.म.ले.प. के डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत लेखापरीक्षा	2012-13	2012-13	स्थिति प्रतीक्षित	2013-14 से 2017-18	5
5.	दिल्ली भवन अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड	नि.म.ले.प. के डी.पी.सी. धारा 19(2) के अंतर्गत लेखापरीक्षा	2014-16	2013-14	प्रस्तुत की जानी है।	2017-18	1
6.	दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण (डी.एल.एस.ए.)	नि.म.ले.प. के डी.पी.सी. अधिनियम धारा 19(3) के अंतर्गत लेखापरीक्षा	2016-17	2016-17	प्रस्तुत नहीं की गई	2017-18	1
7.	दिल्ली विद्युत नियामक आयोग(डी.ई.आर.सी.)	नि.म.ले.प. के डी.पी.सी. अधिनियम धारा 19(3) के अंतर्गत लेखापरीक्षा	2017-18	2017-18	वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए 25.02.2019 को राज्य विधान मंडल में प्रस्तुत की गई	-	-
8.	अम्बेडकर विश्वविद्यालय, कश्मीरी गेट, दिल्ली	नि.म.ले.प. के डी.पी.सी. अधिनियम धारा 19(3) के अंतर्गत लेखापरीक्षा	2017-18	2016-17	प्रस्तुत नहीं की गई	-	-
9.	इन्द्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली	नि.म.ले.प. के डी.पी.सी. अधिनियम के सेक्शन 20(3) के अंतर्गत वर्ष 2013-14 से वर्ष 2017-18 के लिए सौंपा जाना	2017-18	2017-18	वित्तीय वर्ष 2016-17 तक के लिए 03.01.2019 को राज्य विधान मंडल में प्रस्तुत की गई	-	-
10.	दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड	नि.म.ले.प. के डी.पी.सी. अधिनियम के सेक्शन 19(3) के अंतर्गत लेखापरीक्षा	-	-	-	2010-11 में प्रतिष्ठित होने से	8